राजस्व मण्डल ग्वालियर

न्यायालय श्रीमान ~~कलेक्टर महोदय होशंगाबाद~~

निगरानी

निग-1816-III-14

नि1-1816-पीबीआर-14

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

6.6.14

1. शालिगराम आ. ~~स्व~~ बाजीलाल आयु 65 वर्ष

2. बुद्दूलाल (मृत) विनोद आ. बुद्दूलाल आयु 45वर्ष

दोनों निवासी ग्राम रोझड़ा तह. डोलरिया जिला

होशंगाबाद ------- आवेदकगण./रीविजन कर्तागण.

बनाम

भोजराज आ. नर्मदाप्रसाद आयु 50 वर्ष

निवासी ग्राम रोझड़ा तह. डोलरिया

जिला होशंगाबाद ------- अनावेदक/उत्तरवादी.

क्र. 2018

दिनांक 16.6.14

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

रीविजनकर्तागण की ओर से निम्न निवेदन है:-

यह कि रीविजनकर्ता के राज.प्र.क्र. 9ए/12 वर्ष 2013-14 मे पक्षकार भोजराज बनाम शालिगराम वगैरह मे पारित आदेश दिनांक 7.5.14 को सीमांकन किया गया उक्त कार्यवाही से क्षुब्ध होकर रीविजनकर्ता उक्त रीविजन प्रस्तुत कर रहा है:-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1816–पीबीआर / 14 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–12–2014	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदकगण की ओर से यह निगरानी सीमांकन पंचनामा दिनांक 7–5–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । प्रकरण में अभी राजस्व निरीक्षक द्वारा तहसीलदार के समक्ष सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, और तहसीलदार द्वारा अभी प्रकरण में अंतिम रूप से सीमांकन आदेश पारित किया जाना है, जहां आवेदकगण को सुनवाई का अवसर उपलब्ध है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया प्रीमेच्योर होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	